इकाई की लेखापरीक्षा श्री के पी.सिंह, स0ले0प0अ0,श्री बरुण शर्मा , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री अनुज कुमार सिंघल स.ले.प.अधिकारी (त) द्वारा दिनांक **04.01.2021** से **11.01.2021**तक श्री ए.के.भारतीय , व.ले.प.अधिकारी. के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें **04/2018 से 03/2020तक तक** के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी ।

भाग-I

परिचयात्मकः कार्यालय जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के लेखा/अभिलेखों की **03/2016** से **03/2018** तककी विगत संप्रेक्षा श्री पी. सी. श्रीवास्तव,व. ले.प.अ., श्री केदार सिंह,स.ले.प.अ., श्री एस. के. डांग, पर्यवेक्षकतथा श्री अशोक कुमार मीणा,व.ले.प. द्वारा दिनांक **25.05.2018**से**05.06.2018**तक संपादित की गयी |

1.

(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: -लागू नहीं

(ii) जनसंख्या: - लागू नहीं

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: लागू नहीं

(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: लागू नहीं

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: लागू नहीं

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **25**

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: -

(viii) ग्राम पंचायतों की संख्या: लागू नहीं

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार (भाग I के अनुसार)**

2(ii) अ- कार्यालय जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वालको विगत 03 वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेषधनराशि(`लाखमें)			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना`	गैर स्थापना `	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`	आधिक्य (+)`	बचत -) (`	आधिक्य (+)`	बचत (-) `
2017-18	0.00	2251.98	198.95	198.95	2757.84	2044.28	00	00	0	2965.54
2018-19	0.00	2965.54	2008.13	2008.13	2817.01	3272.29	00	00	0	2510.27
2019-20	0.00	2510.27	2002.92	2002.92	2819.61	2482.11	00	00	0	2847.77

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालयजिला विकास टिहरी गढ़वाल का केंद्र पुरोनिधानितयोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरानप्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2018-19	राष्ट्रीय बायोगैसकार्यक्रम	1.11	0.79	1.90	1.90	00
2019 -20	राष्ट्रीय बायोगैसकार्यक्रम	0	1.04	1.04	1.04	00
2018-19	मनरेगा	7.00	435.77	442.77	435.97	6.80
2019-20	मनरेगा	6.80	411.99	418.79	362.59	56.20

2(ii) ब- कार्यालय जिलाविकासअधिकारी, टिहरी गढवालकावर्ष-वार योजनाओंकाआाय व्यय विवरण–

कार्यालय जिलाविकासअधिकारी, टिहरी गढ़वालकावर्ष 2017–18का योजनावारआय–व्यय विवरण (धनराशि रू0 लाख में)						
क्र. सं.	मदकानाम	पूर्वअवशेष	वर्ष के दौरानप्राप्तियां	कुलप्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिमअवशेष
1	विधायकनिधि	2117.42	2257.50	4374.92	1519.80	2855.120
2	एकलग्रामपेयजल योजना	3.95	0.00	3.95	0.00	3.953
3	जिला योजना	0.000	126.87	126.87	126.87	0.000
4	दीनदयालआवास योजना	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000
5	राष्ट्रीय बायोगैसकार्यक्रम	1.11	0.00	1.11	0.00	1.113
6	म्नरेगा	7.00	373.15	380.15	373.15	7.00
7	मेरागांवमेरीसड़क योजना	122.50	0.32	122.82	24.46	98.36
	योग	**22851.98**	**2757.84**	**5009.82**	**2044.28**	**2965.54**

2(ii) ब- कार्यालय जिलाविकासअधिकारी, टिहरी गढवालकावर्ष-वार योजनाओंकाआाय व्यय विवरण–

कार्यालय जिलाविकासअधिकारी, टिहरी गढ़वालकावर्ष 2018–19का योजनावारआय–व्यय विवरण (धनराशि रू0 लाख में)						
क्र. सं.	मदकानाम	पूर्वअवशेष	वर्ष के दौरानप्राप्तियां	कुलप्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिमअवशेष
1	विधायकनिधि	2855.12	2250.00	5105.12	2681.14	2423.98
2	एकलग्रामपेयजल योजना	3.95	1.07	5.02	00	**5.02**
3	जिला योजना	00	129.38	129.38	129.38	00
4	दीनदयालआवास योजना	00	00	00	00	00
5	राष्ट्रीय बायोगैसकार्यक्रम	1.11	0.79	1.90	1.90	00
6	मनरेगा	7.00	435.77	442.77	435.97	6.80
7	मेरागांवमेरीसड़क योजना	98.36	00	98.36	23.89	74.47
	योग	**2965.54**	**2817.01**	**5782.55**	**3272.28**	**2510.27**

कार्यालय जिलाविकासअधिकारी, टिहरी गढ़वालकावर्ष 2019–20का योजनावारआय–व्यय विवरण (धनराशि रू0 लाख में)						
क्र. सं.	मदकानाम	पूर्वअवशेष	वर्ष के दौरानप्राप्तियां	कुलप्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिमअवशेष
1	विधायकनिधि	2423.98	2250.00	4673.98	1882.40	2791.58
2	एकलग्रामपेयजल योजना	5.02	0.07	5.10	5.10	00
3	जिला योजना	00	131.46	131.46	131.46	00
4	दीनदयालआवास योजना	00	00	00	00	00
5	राष्ट्रीय बायोगैसकार्यक्रम	00	1.04	1.04	1.04	00
6	म्नरेगा	6.80	411.99	418.79	362.59	56.20
7	मेरागांवमेरीसड़क योजना	74.47	25.05	99.52	99.52	00
	योग	**2510.27**	**2819.61**	**5329.88**	**2482.11**	**2847.77**

लेखाओं पर टिप्पणीः-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई हैं अर्थात योजनाओं का कृयान्वयन सही ढंग से नही हो रहा हैं।

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारुप में नही किया जा रहा हैं।

भाग-दो-ब

प्रस्तर 1:- कार्यालय द्वारा शासनादेश का पालन न करना एवं सोशल ऑडिट की सूचना के अनुसार रु 1.15 करोड़ की कुल 2406 आपत्तियों का अपूर्ण रहना |

पत्रांक संख्या :618/163/MGNREGS/2018-19 महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ (ग्रा0 वि0 वि0) देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 मे सोशल ऑडिट टीम के निष्कर्षों पर कार्यवाही किए जाने के संबंध मे शासन द्वारा बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट उल्लेख हैं की वित्तीय अनियमित एवं अधिनियम उल्लंघन के गंभीर मामलों मे वसूली तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विभागीय कार्यवाही सोशल ऑडिट सम्पन्न होने की तिथि से 06 माह के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु उपरोक्तानुसार अधिकारी उत्तरदाई होंगे।

बिन्दु संख्या 2 में मार्ग निर्देशिका के अनुसार वित्तीय अनियमितता एवं अन्य गंभीर अनियमितता के मामलों मे संबंधितों से वसूली अथवा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विभागीय कार्यवाही किए जाने हेतु निम्न अधिकारी उत्तरदाई होंगे।

शासन स्तर पर प्रत्येक माह सोशल ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से की जाएगी । मुख्य विकास अधिकारी अपने जनपद की प्रगति आख्या संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे।

पत्रांक संख्या 05/ व0 नि0 स0 / अ0 स0- ग्रा0 वि0 / 2018-19, देहरादून : दिनांक :05 जनवरी 2019 में बिन्दु संख्या 8 में शिकायत निवारण संबन्धित में स्पष्ट उल्लेख हैं की 30 दिन के अंदर कार्यवाही न होने पर संबन्धित प्रदाधिकारी/ कर्मचारी पर प्रति शिकायत रु 500/- जुर्माना होगा।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी,टिहरी गढ़वाल से प्राप्त सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल आपत्तियाँ 2406 सोशल ऑडिट द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार रु 1.15 करोड़ की आपत्तियाँ अपूर्ण पायी गयी हैं।

उपरोक्त प्रकरणों की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं इकाई द्वारा बताया गया की जल्द ही उच्चाधिकारी से वार्ता कर कार्यवाही की जाएगी एवं इकाई द्वारा बताया गया की शासन स्तर पर प्रत्येक माह 5 तारीख को सोशल ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से नहीं की जा रही |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकिशासन आदेश मे बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट उल्लेख हैं की वित्तीय अनियमित एवं अधिनियम उल्लंघन के गंभीर मामलों में वसूली तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विभागीय कार्यवाही सोशल ऑडिट सम्पन्न होने की तिथि से 06 माह के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी जोकि कार्यालय द्वारा नहीं की जा रही। साथ ही यह भी पाया गया की कार्यालय द्वारा शासन स्तर पर प्रत्येक

माह सोशल ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से की जाएगी तथा मुख्य विकास अधिकारी अपने जनपद की प्रगति आख्या संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे जोकि इकाई द्वारानहीं की जा रहीजोकि राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है।

अत: कार्यालय द्वारा शासनादेश का पालन न करना एवं सोशल ऑडिट की सूचना के अनुसार रु 1.15 करोड़ की कुल 2406 आपत्तियों का अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर01 धनराशि रु- 24.49 लाख के बिल वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराया जाना |

According to F.No, J-11060/11/2018-MGNREGA(RE-III) Sl.NO.18 Government of India, Ministry of rural Development, 5(g): This grant is toward plan expenditure and shall be utilized for approved items of works subject to the conditions laid down in the MGNREGA Guideline. No deviation from the provision of the Guidelines is permissible.

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना मनरेगा के दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 201312.5.2 अनुसार राज्यों संघ /शासित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए मानव संसाधन बढ़ाने और क्षमता विकास के लिए केंद्रीय सरकार वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक व्यय के रूप में मानरेगा के कुल व्यय का 06 प्रतिशत उपलब्ध करती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त इस राशि से बिन्दु संख्या 12.5.5 में उल्लेखित अनुमेय कार्यकलाप ही कराये जा सकते है, जो मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो।

कार्यालयजिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, में संचालित मनरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय से संबन्धित 2017-18 से 2019-20 के अभिलेख यथा फ़ाइल, बिल- वाउचर, क्रय की गयी सामग्री से संबन्धित अभिलेख जांच में पाया गया की कार्यालय द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान रु 33,10,680/- का व्यय किया गया था परंतु कार्यालय द्वारा 11,08,046/- के बिल वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए एवं वर्ष 2019-20 मे कार्यालय द्वारा रु 20,53,764/- का व्यय किया गया परंतु लेखापरीक्षा को रु 13,41,189/- के बिल वाउचर नहीं दिखाये गए।ईकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा तथा रु- 2,449,235 के बिल वाउचर आगामी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवा दिये जाएंगे |

अत:रूपये 24.49 लाख के बिल वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-2 जिला योजना के मूल उद्देश्यों एवं सचिव द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता के विपरीत अन्य कार्यों पर अनियमित व्यय रु. 260.84 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 284/125/रा.यो.आ./2018-19 दिनांक 22 फरवरी 2019 के द्वारा जिला योजना में प्रावधानित धनराशि के त्वरित व आवश्यकता अनुरूप व्यय हेतु समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देश निर्गत किए कि आपदा से क्षतिग्रस्त छोटे छोटे एवं कम लागत के कार्य जैसे छोटी पुलिया, पेयजल योजनाओ कि मरम्मत इत्यादि कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जिला योजना में धनराशि आवंटित की जाए। साथ ही निर्देश निर्गत किए कि राज्य में विभिन्न योजनाए संचालित है , इसके बाबजूद भी कुछ ग्राम/क्षेत्र विकासीय कार्यों से वंचित रह जा रही है। इस हेतु आवश्यक है कि जनपद पर Gap Analysis की जाए तथा जिला योजना में उन क्षेत्र/ग्रामों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तथा ऐसे ग्राम जहां पर कोई योजना संचालित नहीं है ऐसे ग्रामो को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को स्वयंGap Analysis कर जिला योजना का निर्माण करना चाहिए। जिला योजना वर्ष 2018-19 की संरचना हेतु सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु सं.16 में भी स्पष्ट है कि जिला योजना में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों के छोटे अवस्थापना निर्माण, मरम्मत/ सुधार के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वागीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत सामुदायिक विकास योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि वर्ष 2018-19 में धनराशि रु.129.38 लाख एवं 2019-20 में धनराशि रु.131.46 व्यय करते हुए समस्त निर्माण कार्य विकास भवन एवं विकास खण्डो में कराये गए है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कराये गए कार्यों में कोई भी कार्य निर्गत किए गए निर्देशों के अनुसार नहीं थे जिससे ग्रामीण जीवन के सर्वागीण विकास तथा समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। साथ ही प्रकाश में आया कि जिला योजना का निर्माण करने हेतु कोई भी Gap Analysis तैयार नहीं किया गया है जिससे कि उक्त योजना से संबन्धित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा स्वीकार किया कि उक्त योजना हेतु कोई Gap Analysis तैयार नहीं किया गया है। आगे इकाई द्वारा अवगत कराया कि मनरेगा/ विधायक निधि के द्वारा पिछड़े क्षेत्र के कार्य कराये जा रहे है व अन्य योजनाओं से ग्रामीण स्तर के सर्वागीण विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है,क्योकि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का अपना अलग उद्देश्य होता है जबकि सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य अन्य योजनाओं द्वारा पूर्ण किया जा रहा है एवं सामुदायिक विकास योजना द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति न कर अन्य कार्य कराएं जा रहे है।

अत: जिला योजना के मूल उद्देश्यों एवं सचिव द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता के विपरीत अन्य कार्यों पर अनियमित व्यय रु. 260.84 लाख किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 3:.विधायकनिधि की प्रशानिकमद कीधनराशि रू 124.24 लाख अवरूध रखाजाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2023 एवंदिनॉक 05.12.2017 के अनुसारविधायकनिधि के मार्गदर्शी–सिद्धान्तोंविषायक एकीकृतपरिपत्र निर्गतकियागयाथाजिसमेंप्रस्तर सं. 7.1 प्रशासनिक व्यय के बारेमें यह उल्लेखितकियागयाथाकिविधायकनिधि के सफलक्रियान्वनअनुश्रवणमुल्यांकन एवंसमाजिकसम्प्रेक्षणहेतुनोडलविभाग,नोडल जनपद,कार्यान्वयन विभाग जनपद द्वाराप्रशासनिक व्यय हेतुविधायकनिधि कीधनराशिका 2 प्रति शतवार्षिक व्यय कियाजायेगा।

कार्यालय जिलाविकासअधिकारीजनपद–टिहरी गढवालके विधायकनिधि के निर्माणकार्यो से सम्बन्धितलेखा–अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गयाकिविगततीनवित्तीय वर्ष 2017–18 2018–19 एवं 2019–20 मेंप्रशासनिकमदमेंक्रमशः धनराशि रू 2250लाख रू 2250 लाख एवं रू 2250लाख (अर्थात कुल रू 6750लाख) विभागकोप्राप्तहुआथाजिसका 2 प्रति शतरू 135लाख होताहै।जिसेउक्तउत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2023 एवंदिनॉक 05.12.2017 के अनुसारप्रशासनिकमदविधायकनिधि के सफलक्रियान्वनअनुश्रवणमुल्यांकन एवंसमाजिकसम्प्रेक्षणपर व्यय कियाजानाचाहिए किन्तुविभाग द्वारा धनराशि रू. 135 लाख में से धनराशि रू 10.76 लाख हीउक्तमदपर व्यय कियागयाथा शेष धनराशि रू 124.24 विभाग के पासपी.ए.एल. खाता सं. 823101 DRDAमेंअवशेषपडीहुईथी।

लेखापरीक्षा द्वाराइंगितकियेजानेपरविभाग द्वाराऑकडो एवंतथ्यों की पुष्टिकरतेहुए बतायागयाकि शासन से स्पष्टदिशा–निर्देशप्राप्तनहींहोने के कारण धनराशिपूर्णतः व्यय नहीं की जासकीहैं।विभागकाउत्तरअमान्यहैक्योंकिकुल धनराशि रू 135 में से रू 10.76 लाख उक्तप्रशासनिकमद की में व्यय करदियागयाहैं शेष धनराशि रू 124.24लाख व्यय करने के लिए बतायागयाकि शासन से स्पष्टदिशा–निर्देशप्राप्तनहींहोने के कारण धनराशि व्यय नहीं की जासकीजबकिउत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2023 के प्रस्तर सं. 7.1 मेभीउक्त धनराशिविधायकनिधि के सफलक्रियान्वनअनुश्रवणमुल्यांकन एवंसमाजिकसम्प्रेक्षणपर व्यय कियाजाने संबधीस्पष्टदिशा–निर्देशदियागयाहै।

अतः विधायकनिधि की प्रशानिकमद की धनराशि रू 124.24 लाख अवरूध रखेजानेकाप्रकारणसंज्ञानमेंलायाजाताहै।

भाग-III

2. परिचयात्मकः–इकाई की लेखापरीक्षाश्री के. पी. सं.ले. प.अ. बरूण शर्मा सं.ले. प.अ अनुजकुमारसिंघल सं.ले. प.अ द्वारादिनॉक 04.01.2021 से 11.01.2021 ते ए.के. भारतीय व.ले. प.अ के पर्यवेक्षणमेंसंपादित की गयीथीजिसमें 4/2018 से 03/2020 तक के लेखाअभिलेखों की जॉच की गयीथी।

(ख) विगतनिरीक्षणप्रतिवेदनों के अनिस्तारितप्रस्तरोंकाविवरणः–

क्रमसं	निरीक्षणप्रतिवेदनसं./ वर्ष	भाग-iv(ब)1	भाग-iv(ब)2	STAN
1	रथा.नि./प्रति.सं. –109/2015–16	01	01 02	
		भाग 2(अ)	भाग 2(ब)	
2	रथा.नि./प्रति.सं. –24/2018–19		1(अ) 1(ब) 2 (अ)2 (ब) 03	1

(ग)विगतनिरीक्षणप्रतिवेदनों के अनिस्तारितप्रस्तरों की अनुपालनआख्याः–

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला विकास अधिकारी,टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में बिल/वाउचर 2018-19 एवं 2019-20 (मनरेगा प्रशा.मद):-

2.सतत अनियमितताएँ**: - शून्य**
3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री भरत भट्ट	जिला विकास अधिकारी	05.07.2017 से 03.04.2018
02.	श्री आनन्द सिंह भकुनी	जिला विकास अधिकारी	04.04.2018 से 27.12.2020
03.	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी	28.12.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/ए.एम्.जी-I , कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), कौलागढ़ , देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाय|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम्.जी.-1